...मय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

1/185/22 पवन — मोहनसिंह वगैरा — तारीख रजू.........

बनाम

...क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...2022	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री कृपाशंकर शंकर शर्मा ने पेश किया। कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जर्ये सम्मन रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी दिनांक 12.07.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
.../7/22	कृपया कोरोना वजह/P.O. बाबत [illegible] पत्रावली दिनांक 18/7/22 को पेश हो।	
...22	वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया शामिल मि0 किया गया। पत्रावली वास्ते बहस की तलबी दिनांक 5/8/22 को पेश हो। SDOK	
5/8/22	कृपया कोरोना वजह/P.O. बाबत [illegible] पत्रावली दिनांक 17/10/22 को पेश हो।	
17/10/22	वकील.............उपस्थित। सावधिक आदेश दिनांक 18/7/22 की पालना में पत्रा. भी वास्ते [illegible] दिनांक 27/1/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

18/12/23

पत्रावली पेश हुई। कार्यवाही उपस्थित नहीं। वकील व उनके वादी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः दावा वादी वकील की अदम पैरवी, अदम हाजरी की वजह से खारिज किया जाता है। पत्रावली में मल हुक्म होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील जिला अभिलेख भण्डार में भेजी जावे।

SDM

उपखण्ड अधिकारी,
(कठूमर, अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/72/2022

वउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राह्मण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवाासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर

---------वादीयागण

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर

---------प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :--श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट--वकील वादीयागण

पैरोकार सरकार-- प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 04.01.2024

वादीयागण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.08 हे. 572 रकबा 0.51 हे. 574 रकबा 0.29 हे. किता 3 रकबा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना व खसरा नम्बर 371 रकवा 0.73 हे. 386 रकवा 0.57 हे. किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 एयर वाके ग्राम भोजपुरा जो वादीयागण की व आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर वाके ग्राम सुण्डियाना प्रतिवादी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। वादियागण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी काश्त की सुविधा हेतु अपनी आराजीयात का आपस में तबादला कर लिया तथा वादियागण की आराजी खसरा नम्बर 371, 386 किता 2 रकवा 1.30 हे. का 1/3 हिस्सा अर्थात 43.33 हे. भूमि वाके ग्राम भोजपुरा प्रतिवादी सं0 1 ने ले ली व प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 571, 572, 574 किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा अर्थात 47 एयर भूमि वाके ग्राम सुण्डियाना को वादियागण ने ले लिया। इस प्रकार तबादला की गयी भूमि पर वादियागया एंव प्रतिवादी सं0 1 काबिज हो गये तथा प्रतिवादी सं0 2 के तबादला स्वीकृति को

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उप पंजीयक कठूमर के यहां विनिमय विलेख दिनांक 15.06.2020 को पंजीवद्व करा लिया तथा बढी हुई 3.67 एयर भूमि को अलग से पंजीयन फीस व स्टाम्प डयूटी जमा करा दी। जव वादियागण ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल कराने हेतु प्रतिवादी सं0 2 को दिया तो प्रतिवादी सं0 2 ने रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल करने से मना कर दिया। प्रतिवादी सं0 2 ने वादियागण को यह भी धमकी दी कि यदि रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं हो रहा है तो इनको निरस्त कराओ तथा अपनी अपनी जमीनों पर वापिस काविज हो जाओ जवकि वादियागण एंव प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी अपनी बदली हुई जमीनों में अच्छे किस्म के खाद वीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। जवकि इस इस प्रकार से पक्षकारान के पध्य भूमि का तबादला करने की स्वीकृति प्रतिवादी सं0 2 ने ही दी थी। रजिस्टर्ड विनिमय पत्र का इन्तकाल नहीं होने से वादियागण के सामने काफी परेशानी हो रही है। वादियागण ने दावा इस्तकरारहक पेश कर दावा मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाव पेश कर वाद वादियागण मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने की सहमति दी हे।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 विनिमय विलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सुण्डियाना प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श 3 व पी 4 पेश की हैजो शामिल पत्रावली है।

वादियागण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह स्वंय वादिया उर्मिला PW1 के वयान पंजीवद्व कराये है जो संलग्न पत्रावली है।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयागण ने अपनी वहस में कथन किया कि वादियागण व प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सहमति से अपनी अपनी आराजी का प्रतिवादी सं0 2 से तबादला नामा स्वीकृत कराकर विनिमय विलेख उप पंजीयक कठूमर के यहां विधिनुसार पंजीवद्व कराया था। जो विनिमय विलेख रजिस्टर्ड है। मुताविक तबादला वादियागण व प्रतिवादी सं0 1 आपस में सहमति से बदली गयी आराजीयात पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। वादियागण ने उक्त रजिस्टर्ड विनिमय विलेख का इन्तकाल कराने प्रतिवादी सं0 1 को दिया तो उसने मना कर दिया। प्रतिवादी सं0 1 ने वादियागण के दावा के तथ्यों को स्वीकार कर ईकवाल जवाव पेश किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों, वादिया उर्मिला के वयानो व प्रतिवादी सं0 1 के इकवाल जवाव से वाद वादियागण पूरी तरह साबित है। इस वजह से वाद वादियागण मुताविक अनुतेश डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड रजिस्टर्ड विनिमय विलेख वादिया उर्मिला के वयान तथा प्रतिवादी सं0 1 के ईकवालिया जवाव का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

यह साबित है कि वादियागण व प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी अपनी आराजी का तबादला कराने हेतु प्रतिवादी सं0 2 से तबादला करने की स्वीकृति प्राप्त कर ही विनिमय विलेख उप पंजीयक कठूमर से तस्दीक कराया है तथा बढ़े हुये रकबा की पंजीयन फीस व स्टाम्प ड्यूटी भी सरकार को अदा की गयी है। विनिमय विलेख रजिस्टर्ड दस्तावेज है प्रतिवादी सं0 1 के इकबालिया जवाब से मुताबिक तबादला विवादित आराजी पर पक्षकारान का कब्जा साबित है। रजिस्टर्ड विनिमय विलेख के आधार पर व मुताबिक अनुतोष दावा वादियागण डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी सहमति दी है। अतः दावा वादियागण साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादियागण इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 1.08 है., 572 रकबा 0.51 है., 571 रकबा 0.29 है. किता 3 रकबा 1.88 है. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर पर वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में तदनुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सुनील कुमार [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 4.1.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगानियां आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1 / 72 / 2022

बउनवान

1. उर्मिला पत्नी हरदयाल जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. इन्द्रा पत्नी मुंशी जाति ब्राहमण निवाासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर।

------डिकीदारान

बनाम

1. मंगतू पुत्र ईशर जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भोजपुरा
   तहसील कठूमर जिला अलवर।
2. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

--------मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादियागण इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिकी किया जाकरआराजी खसरा नम्बर 571 रकवा 1.08 हे., 572 रकवा 0.51 हे., 574 रकवा 0.29 हे. किता 3 रकवा 1.88 हे. का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम सुण्डियाना तहसील कठूमर का वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 4.1.2024 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

सुनील कुमार झिंगानियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)